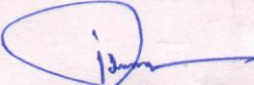


क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मेंपरियोजना का नाम:-माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

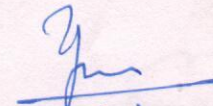
उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। खसरा नम्बर 1283 ग्राम जैसाल क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।

  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रां० खं० लो० नि० वि०,  
गोपेश्वर

  
राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र दिल्ली  
तहसील चमोली

  
जिलाधिकारी,  
चमोली  
जिला अधिकारी  
चमोली

  
तहसीलदार  
(सदर)  
चमोली

  
उपजिला अधिकारी  
चमोली 11/11/20